



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14072026-274492
CG-DL-E-14072026-274492

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3695]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 13, 2026/आषाढ 22, 1948

No. 3695]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 13, 2026/ASHADHA 22, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

का.आ. 3857(अ).— केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3327 (अ) तारीख 25 जुलाई 2023, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 25 जुलाई 2023, में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में तेल पदार्थ परिवहन के 4"Ø गैस लाइन एच एल#21 से घमीज जीजीएस-1, ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा गुजरात राज्य में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियाँ जनता को तारीख 12 मार्च 2026 तक उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार ने उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्याधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरुद्ध कोई वाद दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
पाइपलाइन का नाम : 4" Ø गैस लाइन एच एल#21 से घमीज जीजीएस-1						
अनुसूची 6(1)						
जिला : गांधीनगर				राज्य : गुजरात		
क्रम संख्या	तालुका का नाम	गाँव का नाम	सर्वे नं/ब्लॉक नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6	7
1	गांधीनगर	इसनपुर मोटा	477	00	7	47
			465	00	14	45
			464	00	25	94
2	गांधीनगर	मगोडी	55	00	17	90
			54	00	0	3
			57	00	14	5
			58	00	8	8

[फा. सं. इएक्पीएल-12027(11)/36/2023-इएक्पीएल-पीएनजी (ई-47167)]

रघुराम कृष्णा, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 13th July, 2026

S.O. 3857(E).— Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O.No.3327(E) Dated 25 July 2023, issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 25 July 2023, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in the State of Gujarat for transportation of Crude Oil/Gas/Water from 4"Ø GAS LINE FROM (HL#21 TO GHAMIJ GGS-I) should be laid by Oil and Natural Gas Corporation Ltd.

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 12th March 2026.

And whereas the Competent Authority has under sub-section (1) of section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in Oil and Natural Gas Corporation Ltd free from all encumbrances.

Oil and Natural Gas Corporation Ltd, shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

Oil & Natural Gas Corporation Limited						
Name of Pipeline : 4"Ø GAS LINE FROM (HL#21 TO GHAMIJ GGS-I)						
SCHEDULE OF 6(1)						
DISTRICT : GANDHINAGAR				STATE : GUJARAT		
S.No.	Name of Tahasil	Name of the Village	Survey/Block No.	Acquired Area		
				Hectare	Are	Sqm.
1	2	3	4	5	6	7
1	GANDHINAGAR	ISANPUR MOTA	477	00	07	47
			465	00	14	45
			464	00	25	94
2	GANDHINAGAR	MAGODI	55	00	17	90
			54	00	00	05
			57	00	14	05
			58	00	08	08

[F. No. Expl-12027(11)/36/2023-EXPL-PNG (E-47167)]

REGHURAM KRISHNA, Under Secy.